जन्तुओं पर प्रयोगों के भी कुछ नियम हैं

साइन्तोन बसु

जन्तु पर प्रयोगों से ज़्यादा जज़्बाती मुद्दा विज्ञान में शायद ही कोई और हो। इस तरह के अनुसंधान में लगे लोगों को लगता है कि ऐसे प्रयोग विज्ञान की प्रगति के लिए ज़रूरी हैं। दूसरे जन्तु अधिकारों के हिमायती उन्हें जन्तुओं पर अत्याचार करने वाला मानते हैं और चाहते हैं कि उनकी सार्वजनिक निंदा हो। यहां हम इस मामले में नियम-कायदों की बात करेंगे। ये नियम 'जन्तुओं पर प्रयोग (नियंत्रण व निरीक्षण) कानून, 1998' में वर्णित हैं। यह कानून 1960 के 'जन्तुओं पर निर्ममता की रोकथाम कानून' की धारा 17 (1) के अंतर्गत बनाया गया है। इसका मसौदा जन्तु प्रयोगों के निरीक्षण व नियंत्रण हेतु बनी समिति ने तैयार किया है। इसके बाद सन 2000 में इसमें संशोधन किए गए। इन संशोधनों के कारण वैज्ञानिक समुदाय में तीव्र हड़कम्प मच गया था।

नियमों का सिलसिला

फरवरी, 1996 में केंद्र सरकार ने जन्तुओं पर निर्ममता की रोकथाम कानून के तहत जन्तुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों का नियमन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उक्त कानून की धारा 17 के तहत् समिति को यह अधिकार है कि वह जन्तु प्रयोगों से सम्बंधित नियम आदि बना सके। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी करके इस पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए थे। वैज्ञानिकों ने इसका कड़ा विरोध किया था और अधिसूचना में कई परिवर्तन हुए थे। अन्ततः मंत्रालय ने 1998 में जन्तु प्रयोगों सम्बंधी नियम जारी कर दिए। इन नियमों के तहत अनुमति की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब यह काम संस्थाओं की समितियां कर सकती हैं मगर उनमें उपरोक्त केन्द्रीय समिति का प्रतिनिधि होता है। इन नियमों के तहत सिर्फ उन्हीं प्रयोगशालाओं को अनुमति मिलती है जो पहले से भारत सरकार के पास पंजीकृत हैं।

अप्रैल, 2000 में केंद्रीय समिति ने फैसला किया कि संस्थाओं की समितियां सिर्फ छोटे प्रयोगशाला जन्तुओं पर प्रयोगों की अनुमति दे सकेंगी। दूसरी ओर बड़े जन्तुओं पर प्रयोग के प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय समिति ऐसे प्रस्तावों को चेन्नई में एक विशेषज्ञ सलाहकार के पास भेजेगी, जो इन्हें दिल्ली स्थित एक उपसमिति को भेज देगा। इस उपसमिति की टिप्पणियां विशेषज्ञ सलाहकार को भेजी जाएंगी। इनके आधार पर विशेषज्ञ सलाहकार अपना फैसला केंद्रीय समिति की मार्फत सम्बंधित संस्था को भेज देगा। संस्थागत जन्तु नैतिकता समिति में बैठा केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि भी जन्तु प्रयोगों से सम्बंधित आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है।

नए नियम

नए नियम दिसम्बर, 1998 में जारी अधिसूचना के खिलाफ जाते हैं। उस अधिसूचना में कहा गया था कि जन्तुओं पर प्रयोग करने के लिए केंद्रीय समिति द्वारा अनुमोदित संस्थागत समिति की स्वीकृति ज़रूरी होगी। प्रावधान यह था कि इन संस्थागत समितियों में सम्बंधित अनुसंधान के सारे पहलुओं से जुड़े लोग होंगे और केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि भी होगा। संस्थागत समितियां विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रजातांत्रिक ढंग से निर्णय लेंगी। शर्तें कठोर होने के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय को मंजूर थी। किन्तु अप्रैल 2000 में केंद्रीय समिति ने कई परिवर्तन कर डाले। इन परिवर्तनों के अनुसार-

- यदि किसी अन्य तरीके से काम चल सके, तो बड़े जन्तुओं पर प्रयोग न किए जाएं; और
- संस्थागत समितियां मात्र छोटे प्रयोगशाला जन्तुओं पर ही प्रयोगों की अनुमति दे सकेंगी, बड़े जन्तुओं से सम्बंधित प्रस्ताव केंद्रीय समिति के पास भेजे जाएंगे।

वैज्ञानिकों की शिकायत है कि ये नए नियम बिल्कुल अनुचित हैं और इनकी वजह से स्वीकृति प्राप्त करने में बहुत देरी